

3

वित्तीय रिपोर्टिंग एवं
लेखाओं पर टिप्पणी



वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति और उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 वैयक्तिक लेजर/वैयक्तिक जमा खाता

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। संघ एवं राज्य लेखे के मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा के अधीन खोले गये वैयक्तिक जमा खाते ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक लेजर खाता (पी.एल.ए.)/वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को राज्य की समेकित निधि से निधियों के अंतरण द्वारा इन पी.एल.ए./पी.डी खातों के परिचालन हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं अन्य समान प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निगमों एवं स्थानीय निकायों के लिये भी विभिन्न जमा शीर्षों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खातों को खोला जा सकता है।

पी.एल.ए./पी.डी. खातों का संचालन

लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा के अतिरिक्त विभिन्न लेखाशीर्ष के अन्तर्गत भी पी.एल.ए./पी.डी. खातों का संचालन किया जा रहा था। 31 मार्च 2019 को 1,070 पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अवशेष धनराशि ₹ 4,347.89 करोड़ में से ₹ 2,455.52 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा-120-विविध जमा के अधीन 28 पी.एल.ए./पी.डी. खातों एवं ₹ 995.24 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधि के अधीन 392 पी.एल.ए./पी.डी. खाते से सम्बन्धित थी।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि मुख्य शीर्ष '8443-106' से भिन्न संचालित हो रहे पी.एल.ए./पी.डी. खाते बहुत पुराने थे तथा मार्च 2018 से नये पी.एल.ए./पी.डी. खाते खोलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। तथापि, तथ्य यह बना हुआ है कि कुछ पी.एल.ए./पी.डी. खाते विनिर्दिष्ट लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा से भिन्न अनुरक्षित किये जा रहे थे।

पी.एल.ए./पी.डी. खातों का मिलान

वर्ष 2018-19 में पी.एल.ए./पी.डी. खाते का संचालन करने वाले राज्य के 77 कोषागारों में से मात्र 34 कोषागारों ने ही अपने अनुरक्षित खातों का मिलान कराया। शेष 43 कोषागारों के मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि पी.एल.ए./पी.डी. खातों के मिलान के लिये कोषागारों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खाते

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली 1998 के अनुसार, यदि किसी पी.एल.ए./पी.डी. खाते में तीन वर्षों से कोई लेन देन न हुआ हो तो ऐसे खाते को बन्द किये जाने हेतु कोषाधिकारी सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेंगे और यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, महालेखाकार की सलाह पर अवशेष, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अन्तरित कर पी.एल.ए./पी.डी. खाते को बन्द कर दिया जाएगा। इस सांहितिक प्रावधान का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, 31 मार्च 2019 को 416 पी.एल.ए./पी.डी. खातों में ₹ 22.77 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.एल.ए./पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरित कर वैयक्तिक लेजर खाते (पी.एल.ए.) में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का आदेश मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसी प्रकार, तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित पी.एल.ए. खातों को बन्द करने का निर्देश सभी विभागों को जनवरी 2018 में जारी किया गया था। परिणामस्वरूप, जनवरी 2018 से जनवरी 2020 के मध्य ₹ 493.46 करोड़ की धनराशि समेकित निधि में जमा की गयी थी एवं असंचालित पी.एल.ए. में पड़ी अवशेष धनराशि को जमा करने के आगे भी प्रयास किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) के पश्चात् असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अवशेष पड़ी धनराशि में कमी आई थी। तथापि, सभी असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों को चिन्हित एवं बन्द किये जाने का अग्रेतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य की समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अन्तरित न किया जाना लोक निधि के दुरुपयोग, कपट एवं दुर्विनियोग के जोखिम को प्रवृत्त करता है।

3.2 उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रेषित न किया जाना

वित्तीय नियमावली में प्रावधानित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये ही किया गया। सहायता अनुदान के सम्बन्ध में जिसे स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर उपभोग किया जाना अपेक्षित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित उपभोग प्रमाण-पत्रों को अनुदान

की स्वीकृति की तिथि से अधिकतम 18 माह के अन्दर महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

31 मार्च 2019 तक, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 (सितम्बर 2017) तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती सहायता अनुदान राशि ₹ 23,832.12 करोड़ से सम्बन्धित कुल 63,366 उपभोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) देय होने पर भी लम्बित थे। अतः, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 23,832.12 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण-पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना धन के दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। विवरण सारणी 3.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.1: लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्र

अवधि	लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	62,903	21,799.65
2017-18	463	2,032.47
2018-19	शून्य [#]	शून्य
योग	63,366	23,832.12

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

(#वर्ष 2018-19 में अवमुक्त सहायता अनुदान के उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित स्वीकृति तिथियों के 18 माह बाद बकाया होंगे)

अधिकांश अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित थे, जैसा कि सारणी 3.2 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.2: विभागों की सूची जहाँ उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे

क्र. सं.	विभाग का नाम	लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	लम्बित धनराशि (₹ करोड़ में)	लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की धनराशि की प्रतिशतता
1.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	9,627	5,963.09	25.02
2.	नगर विकास विभाग	4,886	5,811.87	24.39
3.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	6,609	4,197.80	17.61
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4,456	1,750.99	7.35
5.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,072	1,736.66	7.29
6.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,910	1,099.94	4.62

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि महालेखाकार को यू.सी. प्रस्तुत किए जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागों का था एवं इस सम्बन्ध में सभी विभागों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। परिणामस्वरूप, लम्बित यू.सी. की संख्या 63,366 (31 मार्च 2019 तक) से घटकर 45,685 (31 मार्च 2020 तक) हो गयी एवं शेष यू.सी. के प्रेषण के लिये कार्यवाही की जा रही है।

तथ्य यह बना हुआ है कि, यू.सी. के प्रेषण में सुधार के बाद भी बड़ी संख्या में उपभोग प्रमाण पत्र अभी भी प्रतीक्षित हैं।

संस्तुति: राज्य सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग स्वीकृति आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों का संग्रह करें एवं व्यतिक्रमी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए।

3.3 लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयक

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक के माध्यम से किया जाए। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक ₹ 19.08 करोड़ की धनराशि के 3,178 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, जिसका विवरण सारणी 3.3 में दर्शाया गया है। लम्बे समय तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

सारणी 3.3: लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

अवधि	लम्बित डी.सी. बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	3,088	16.52
2017-18	27	0.30
2018-19	63	2.26
योग	3,178	19.08

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

अधिकांश डी.सी. देयक सारणी 3.4 में सूचीबद्ध विभागों से प्रतीक्षित थे।

सारणी 3.4: विभागों की सूची जहां विस्तृत आकस्मिक देयक लम्बित थे

क्र. सं.	विभाग का नाम	लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयकों की संख्या	लम्बित धनराशि (₹ करोड़ में)	लम्बित डी.सी. की धनराशि की प्रतिशतता
1.	सचिवालय, प्रशासन विभाग	128	7.05	36.95
2.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	04	1.98	10.38
3.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	435	1.27	6.66
4.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	645	1.20	6.29

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि ए.सी. देयकों के समायोजन के लिए सम्बन्धित विभागों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गये थे एवं 31 मार्च 2020 तक लम्बित डी.सी. देयकों की संख्या घटकर 1,330 रह गई थी जिसके समायोजन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

तथ्य यह बना हुआ है कि निर्धारित समय के अन्दर डी.सी. देयकों को प्रस्तुत नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है अपितु अपव्यय/दुर्विनियोग/अपकरण आदि की सम्भावना को भी बढ़ाता है।

संस्तुति: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

3.4 रोकड़बही का अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना

प्राप्तियों एवं संवितरणों के वित्तीय संव्यवहारों के लिये रोकड़बही एक प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में शासकीय धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण किये जाने से न केवल लेखे की शुद्धता एवं पूर्णता प्रभावित होती है अपितु यह शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का भी संकेतक है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण किये जाने से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता रहा है। अद्यतन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये कुछ प्रकरण **परिशिष्ट 3.1** में सूचीबद्ध किये गये हैं। ये प्रकरण अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में लेखापरीक्षित 534 इकाइयों की नमूना जांच में संज्ञान में आये थे, यद्यपि, ऐसे प्रकरण अन्य इकाइयों में भी घटित हो सकते हैं। इसलिए, अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारियों के प्रकरण में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा आन्तरिक जांच कराया जाना चाहिये।

संस्तुति: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाय।

3.5 धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में अन्तरण न किया जाना

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को राज्य लेखे के मुख्य शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। इन धनराशियों के समतुल्य धनराशि को मुख्य शीर्ष '3054-सड़क एवं सेतु' या अन्य कोई सम्बन्धित समुचित लेखाशीर्ष में डेबिट करते हुए मुख्यशीर्ष '8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त सहायता' में क्रेडिट किया जाता है, जहां से व्यय का वहन सड़क एवं सेतु के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर किया जाता है।

भारत सरकार से सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2018-19 में प्राप्त ₹ 655.91 करोड़ को लोक लेखे में अन्तरित करने में राज्य सरकार विफल रही, यद्यपि सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 4,302.40 करोड़ का व्यय किया गया था, तथापि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 655.91 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

निर्धारित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, सी.आर.एफ. का लेखांकन न किये जाने के कारण भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि के लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपभोग में अपारदर्शिता थी।

3.6 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप, वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार, राजस्व आधिक्य में ₹ 13,418.64 करोड़ की निवल अतिशयता हुई। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे में भी ₹ 13,410.69 करोड़ की न्यूनता हुई, जैसा सारणी 3.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5: राज्य लेखे के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	राजस्व आधिक्य की अतिशयता	राजस्व आधिक्य की न्यूनता	राजकोषीय घाटे की अतिशयता	राजकोषीय घाटे की न्यूनता
राजस्व के स्थान पर पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित लघु निर्माण कार्य, वाहनों का अनुरक्षण, पेट्रोल आदि का क्रय, कम्प्यूटर का रख-रखाव एवं सम्बन्धित लेखन सामग्री के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	68.98	-	-	-
पूंजीगत के स्थान पर राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित कार्यालय उपयोग हेतु स्टाफ कार/वाहन के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 1(v))	-	61.03	-	-
प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(ii))	453.91	-	-	453.91
निक्षेप निधि से धनराशि का राजस्व प्राप्तियों के रूप में समेकित निधि को अन्तरण (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(अ))	12,693.33	-	-	12,693.33
एन.डी.आर.एफ. अनुदान का अन्तरण न किया जाना (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	157.23	-	-	157.23
आरक्षित निधि अवशेषों (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना। (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	106.22	-	-	106.22
योग	13,479.67	61.03	-	13,410.69

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 28,250 करोड़ एवं ₹ 35,203 करोड़ था, वास्तव में ₹ 14,831 करोड़ एवं ₹ 48,614 करोड़ होगा।

3.7 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार, एक प्रतिशत की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना उपबन्धित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं।

3.7.1 उपकर का लेखांकन

उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, को सारणी 3.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.6: पंजीकरण शुल्क, संग्रहित उपकर एवं उपभोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्तियाँ				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज			
			बोर्ड खाते में प्राप्त	कोषागार से प्राप्त (राज्य सरकार)				
2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59
2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96
2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47
2018-19	3,922.47	7.42	891.31	9.99	247.85	5,079.04	193.85	4,885.19

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

चूँकि बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए लेखापरीक्षा में प्राप्ति एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहीत उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड

द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों द्वारा संग्रहीत की गयी एवं कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

3.7.2 श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी. डब्ल्यू. कल्याण निधि से सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह हेतु वित्तीय सहायता आदि को अधिसूचित किया गया। वर्ष 2014-19 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7: निधि के आवंटन एवं उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनाएँ		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत तक पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आवंटित निधि के सापेक्ष उपभोग	उपलब्ध निधि के सापेक्ष उपभोग
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	8.33	54.97	6.65
2018-19	5,079.04	21	361.75	174.45	48,56,323	2,69,500	5.55	48.22	3.43

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मात्र तीन से सात प्रतिशत का व्यय किया गया एवं मात्र छः से 15 प्रतिशत तक पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया। बोर्ड द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2019) कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के लिये सितम्बर 2018 में भारत सरकार द्वारा परिसंचारित मॉडल कल्याण योजना के दृष्टिगत प्रचलित कल्याण योजनाओं को पुनरीक्षित किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 में निधियों का कम उपभोग हो पाया था।

संस्तुति: उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अपने अधिदेश की पूर्ति की जानी चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से अन्तरित न करके, बोर्ड के बैंक खाते में सीधे अन्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

3.8 विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने का प्रावधान करता है, जिसे बाद में, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों/नगर पालिकाओं को विनिर्दिष्ट अनुपात में अंतरण किया जाता है।

स्टाम्प ड्यूटी एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02-स्टाम्प नान-जुडिशियल, 102-स्टाम्प बिक्री के अन्तर्गत किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है।

विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं को निधियों के अन्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा अन्तरित अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के व्यय का पुस्तांकन मुख्यशीर्ष 2216-आवास या 2217-नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्यशीर्ष 3475-800-03 के अन्तर्गत किया जा रहा था।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (अप्रैल 2017) में निर्धारित किया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लेखा) सभी प्राधिकरणों को धनराशि अवमुक्त करेगा। वर्ष 2018-19 में, ₹ 200 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष कोई धनराशि प्राधिकरणों/परिषदों को अन्तरित नहीं की गयी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण धनराशि अन्तरित नहीं की जा सकी।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को अन्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संग्रहीत दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिकाओं/परिषदों को करना था और इसलिये निधि की 25 *प्रतिशत* धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से डी.यू.टी. एफ. के लिये निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण सारणी 3.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.8: डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि के लिये प्रावधान/व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	00
2017-18	375	00
2018-19	150	00

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2018-19 में डी.यू.टी.एफ. के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधानित ₹ 150 करोड़ की धनराशि का समर्पण (मार्च 2019) शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह कहते हुए कर दिया गया कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण धनराशि व्यय नहीं की जा सकी।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उ.प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्ति एवं प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं आदि को अन्तरित धनराशि लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरण सम्बन्धी प्राधिकृत करने वाले आदेश, जिसका अधिनियम में प्रावधान नहीं है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

3.9 शासकीय धनराशि की गबन या हानि के प्रकरणों की रिपोर्टिंग

राज्य सरकार द्वारा सूचित शासकीय धनराशि के गबन या हानि के 135 प्रकरण जिसमें ₹ 9.31 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिन पर 31 मार्च 2019 तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। 135 प्रकरणों में से 101 प्रकरणों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई गई थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दर्शाया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को सारणी 3.9 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.9: लम्बित प्रकरणों की स्थिति

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	निहित धनराशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित धनराशि (₹ लाख में)
0 - 5	0	0	चोरी	62	33.21
5 - 10	21	400.77	दुर्विनियोग	09	111.95
10 - 15	18	49.51	हानि	23	171.78
15 - 20	13	78.27	गबन	41	613.84
20 - 25	32	13.87	योग	135	930.78
25 से अधिक	51	388.36			
योग	135	930.78			

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

कुल लम्बित 136 प्रकरणों (31 मार्च 2018 तक) जिनमें निहित धनराशि ₹ 935.22 लाख थी, में से वर्ष 2018-19 में ₹ 4.44 लाख के एक प्रकरण का निस्तारण/अपलेखन (परिशिष्ट 3.4) किया गया जिससे मार्च 2019 तक कुल 135 प्रकरणों में निहित

धनराशि ₹ 930.78 लाख लम्बित थी। लम्बित रहने का कारण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, सारणी 3.10 में सूचीबद्ध है।

सारणी 3.10: प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण

	विलम्ब/लम्बित प्रकरणों का कारण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थे	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	72	536.62
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित	9	6.40
ङ	माननीय न्यायालयों में लम्बित	26	193.95
	योग	135	930.78

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

संस्तुति: शासन को अपेक्षित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करनी चाहिए एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति में कमी के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

3.10 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से अपेक्षित है कि निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दें एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत करें। तथापि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था (*परिशिष्ट 3.5*)।

3.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अनुसार, कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर अर्थात् 30 सितम्बर तक अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) में भी निहित है। ऐसा करने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013³² की धारा 129(7) के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जिसमें निर्धारित है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी, जो अनुपालन नहीं करने के उत्तरदायी हैं, को कारावास की सजा जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड जो रूपया पचास हजार से कम नहीं होगी परन्तु जिसे रूपया पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों के साथ दण्डनीय होंगे। सांविधिक निगमों के लेखाओं को, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिमीकृत, सम्प्रेक्षित एवं विधायिका में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

³² पूर्व में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(5) में निर्धारित था कि यदि कोई व्यक्ति, जो कम्पनी का निदेशक हो, इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में युक्तिसंगत कदम उठाने में विफल रहता है तो प्रत्येक अपराध के लिये कारावास के साथ दण्डित किया जा सकता है जो छः माह तक का हो सकता है, या अर्थदण्ड जो दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ दण्डित होंगे।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उत्तर प्रदेश में 92 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाये हैं, जिनका विवरण सारणी 3.11 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.11: पी.एस.यू. के वार्षिक लेखाओं के बकाये का अवधिवार विवरण

क्र. सं.	विवरण	क्रियाशील	अक्रियाशील	योग
1	पी.एस.यू. की संख्या	64	46	110
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	60	42	102
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	225	658	883
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	42	11	53
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	75	25	100
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	13	07	20
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	91	50	141
5(अ)	10 वर्षों एवं उससे अधिक के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	5	24	29
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	59	583	642
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 15	1 से 37	1 से 37

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2019 तक अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे)

ऊपर दर्शित स्थिति व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को इंगित करती है। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक 22 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता ₹ 5,036.61 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1,552.38 करोड़, ऋण: ₹ 996.52 करोड़, पूंजीगत अनुदान: ₹ 1,748.52 करोड़, अन्य अनुदान: ₹ 665.57 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 73.62 करोड़) तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ उस अवधि के दौरान दिया गया जिनमें उनके लेखे बकाया थे (परिशिष्ट 3.6)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए गत 1 से 15 वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम में अपेक्षित है, इन पी.एस.यू. के लेखाओं के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे।

लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये वांछित लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण एवं सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः-प्रवाह के रूप में बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध करायी गयी। राज्य सरकार द्वारा 22 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों, जिनके वर्ष 2017-18 तक के

लेखे वर्ष 2018-19 में प्राप्त नहीं हुए थे, को बजटीय सहायता ₹ 6,339.54 करोड़ तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ दिया गया, जिसका विवरण *परिशिष्ट 3.6* में दिया गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

संस्तुति: वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बनें।

3.12 घोषित नहीं किये गये लाभांश

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। तदनुसार, 17 पी.एस.यू. द्वारा अपने अद्यतन लेखे के आधार पर ₹ 611.22 करोड़ का लाभांश घोषित करना था (*परिशिष्ट 3.7*)। तथापि, मात्र 11 पी.एस.यू. ने ₹ 8.29 करोड़ का लाभांश घोषित किया। लाभ अर्जित करने वाले शेष छः पी.एस.यू. ने ₹ 602.93 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया, जिनमें से ₹ 602.48 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा करें।

3.13 मिलान नहीं किये गये इक्विटी/ऋण

निवेश प्राप्तकर्ता संगठन/राज्य पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी एवं लम्बित ऋण के आंकड़े राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के संगत होने चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों³³ में कुल ₹ 1,18,532 करोड़ का निवेश किया था। तथापि, निवेश प्राप्तकर्ता संगठनों की लेखाबही के अनुसार यह राशि ₹ 1,24,808 करोड़ थी। आंकड़ों में ₹ 6,276 करोड़ की भिन्नता का मिलान अपेक्षित था।

अग्रेतर, वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार, ₹ 30,709.56 करोड़ के कुल ऋण में से ऋण ₹ 1,998.72 करोड़ की राशि का मिलान वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा शासकीय लेखे से नहीं किया गया था।

संस्तुति: वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों, ऋणों एवं प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं लेखे में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

³³ सरकारी कम्पनियों (₹ 1,15,283 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,247 करोड़), साविधिक निगमों (₹ 956 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)–₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में है।

3.14 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। इस प्रकार व्यय पक्ष में ₹ 38,022.97 करोड़, जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 10.44 प्रतिशत था, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किया गया।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 24,190.25 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.33 प्रतिशत) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ पर्याप्त भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण **लेखाओं पर टिप्पणी (वित्त लेखे-भाग-1) के परिशिष्ट ख एवं ग** में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में यह प्रकरण निरन्तर प्रतिवेदित किया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत सर्वग्राही पुस्ताकंन कुल राजस्व प्राप्ति का 6.59 प्रतिशत से बढ़कर 7.33 प्रतिशत हो गया, जबकि लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में पुस्ताकंन कुल व्यय का 8.90 प्रतिशत से बढ़कर 10.44 प्रतिशत हो गया। तथ्य यह है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक अनुपात में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया है, जो गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि यह लेखे की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

संस्तुति: वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित हो एवं अग्रेतर, यदि आवश्यक हो, समुचित लेखाशीर्षों को खोला जाए।

3.15 राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन

अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 9 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा तथा अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550-सिविल अग्रिम तक) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु शेष थी।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा जमा तथा अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

3.16 अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी शेष है।

इलाहाबाद

दिनांक: 01 अगस्त 2020

स जफा


(सरित जफा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 4th August, 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक